119

समक्ष माननीय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

नि-2270-I-16

घमण्डी तनय चतुर कुशवाहा
निवासी कछिया गुड़ा तह. लिधौरा टीकमगढ़ ....आवेदक

//विरूद्ध//

1. रामप्रसाद तनय लम्पू कुशवाहा
2. भगवानदास तनय चतुर, कल्लू तनय चतुर
   निवासी कछिया गुड़ा तह. लिधौरा
3. पिरू पुत्री छत्तू कुशवाहा पत्नी लुटी कुशवाहा
   निवासी कछिया गुड़ा तह. लिधौरा
4. लम्पू तनय छत्तू कुशवाहा
5. चतुर तनय छत्तू कुशवाहा
   निवासी कछिया गुड़ा तह. लिधौरा,
   जिला टीकमगढ़ म.प्र. ......अनावेदकगण

अजय कुमार श्रीवास्तव 8-7-16 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

अजय कुमार श्रीवास्तव (एड.)
श्रीमती तृप्ति श्रीवास्तव (एड.)
इतवारी हिल्स, सागर (म.प्र.)
मो. 9424404113, 07582-244808

निगरानी अंतर्गत धारा–50 म.प्र.भू. राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त आवेदक न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्रकरण क्रमाँक 686/अ–6/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 23–06–2016 से परिवेदित होकर यह निगरानी निम्नलिखित प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करता है:–

1. यह कि प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि, विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदक द्वारा मृतक खातेदार घंशू द्वारा निष्पादित वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया इसी प्रकार अनावेदक क.1 रामप्रसाद द्वारा भी वसीयतनामा के आधार नामांतरण चाहा तथा अन्य अनावेदक के द्वारा भी इसी भूमि के संबंध में नामांतरण बावत् प्रकरण पंजीबद्ध किए जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा संयुक्त रूप से तीनों प्रकरण में कार्यवाही करते हुए आवेदक को निष्पादित वसीयतनामा को वैध एवं साक्षियों द्वारा प्रमाणित मानते हुए नामांतरण किए जाने का विधि सम्मत आदेश पारित किया जिसके विरूद्ध अनावेदक क.1 द्वारा अपील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जानें से और उनके द्वारा विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त किए जाने से आवेदक द्वारा द्वितीय अपील सम्मानीय अपर आयुक्त सागर के समक्ष प्रस्तुत की थी जो विधिवत समयसीमा में एवं श्रवण योग्य होने के उपरांत भी आग्राह्य किए जाने से यह निगरानी विधिवत रूप से प्रस्तुत की जा रही है।

2. यह कि आलोच्य आदेश प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य एवं व्याप्त कानूनी सिद्धांतों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्तनीय है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक..... निग. 2270 I/16 .... जिला ..... टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9-2-17	1— आवेदक के अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव उपस्थित अनावेदकगणों के ओर से अधिवक्ता राजेन्द्र पटैरिया उपस्थित उभयपक्ष अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किए। मैंने प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्रकरण क्र. 689/अ—6/2015—16 मे पारित आदेश दि. 23/06/2016 के विरूद्व म0 प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा—50 के तहत प्रस्तुत की गयी है। 2— आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में कहा गया है कि विचारण न्यायालय के समक्ष निष्पादित वसीयतनामा के आधार पर आवेदक एवं अनावदेक क्र.1 द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें विचारण न्यायालय द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुए आवेदक को निष्पादित वसीयतनामा को वैध एवं साक्षियों द्वारा प्रमाणित मानते हुए नामांतरण किए जाने का विधि सम्मत आदेश पारित किया था। जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा बिना किसी सूक्ष्म जांच के निष्पादित वसीयतनामा को तो वैद्य मान्य किया और अनावेदक रामप्रसाद की वसीयत को फर्जी मान्य किए जाने के उपरांत भी वारिसान हक में आदेश पारित किए जाने से आवेदक द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त सागर के समक्ष प्रस्तुत की थी जो अग्राह्य किए जाने से पारित आदेश निरस्त किए जाने का अनुरोध किया है। 3— उनका यह भी तर्क है कि विचाराधीन प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद एवं प्रमाणित है कि वसीयतकर्ता निःसंतान फौत है आवेदक के द्वारा ही उसके जीवन काल में उसके साथ रहकर उसकी कृषि भूमि की देखरेख की थी एवं उसकी मृत्यु उपरांत वसीयतकर्ता का क्रियाकाज दिन—त्रियोदशी आवेदक द्वारा ही की गई थी। वसीयतकर्ता द्वारा आवेदक घमण्डी के पक्ष में निष्पादित वसीयत की जानकारी ग्रामवासियों एवं अनावेदकगणों को शुरू से ही रही है, विचारण न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण जांच एवं	

R-2270 5/16

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

साक्षियों के प्रति परिक्षण उपरांत उसे वैद्य मान्य करते हुए विधि सम्मत आदेश पारित किया था इस कारण उन्होंने विचारण न्याया द्वारा पारित आदेश को स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया है। उनका यह भी तर्क है कि निष्पादित वसीयतनामा में उल्लेखित साक्षी आशाराम कुशवाहा तनय मुलू कुशवाहा, लखन तनय जालम कुशवाहा द्वारा अपने साक्ष अंकित कर उनके समक्ष वसीयतनामा लेख किया जाना तथा उस पर वसीयतकर्ता द्वारा हस्ताक्षर करने की पुष्टि अपने कथनों में की है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निष्पादित वसीयतनामा को संदेहात्मक मानकर आदेश पारित किया है। इस कारण प्रश्नगत आदेश को वैद्य नहीं माना जा सकता जिसके विरूद्ध प्रस्तुत द्वितीय अपील में अपर आयुक्त सागर द्वारा अत्यन्त संक्षिप्त रूप से बिना किसी व्याख्या के प्रकरण अग्राह्य किए जाने से उन्होंने पारित दोनों आदेश निरस्त करते हुए प्रस्तुत निगरानी स्वीकार किए जाने का अनुरोध किया है।

4— अनावेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में कहा गया है कि मृतक खातेदार घंसू के भूमि स्वामी मालकाना हक हिस्से की भूमि की वसीयत आवेदक क.1 को दिनांक 22.04.2015 कों विधिवत रूप से की गई थी जो अंतिम वसीयत है जबकि आवेदक द्वारा प्रस्तुत बसीयतनामा दिनांक 09.01.2015 को फर्जी बताते हुए विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश अवैध होने से उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी द्वारा वारसान हक में किए गए आदेश को वैध रखते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया है।

5— आवेदक एवं अनावेदकगणों के तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों आदेश एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। इस प्रकरण में आवेदक घमण्डी एवं रामप्रसाद द्वारा दो अलग—अलग वसीयतनामा प्रस्तुत कर नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था जिसके विश्लेषण उपरांत प्रस्तुत साक्ष्य एवं प्रति परिक्षण उपरांत मृतक खातेदार वसीयतकर्ता घंशू तनय छतू कुशवाहा द्वारा आवेदक के पक्ष में निष्पादित वसीयतनामा को वैद्य एवं साक्षियों द्वारा प्रमाणित मानते हुए वसीयतकर्ता के हिस्से की भूमि का नामांतरण

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक..... निग.. 2270 I / 16 .... जिला ...... टीकमगढ़ ....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	आवेदक के पक्ष में विचारण न्यायालय द्वारा स्वीकृत किया है किंतु अनुविभागीय अधिकारी जतारा द्वारा अपने आदेश दि. 31–05–16 में उक्त आदेश को इस आधार पर निरस्त किया है कि वसीयतकर्ता निःसंतान फौत है एवं वसीयत संदिग्ध है। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं सिंजरा अनुसार वसीयतकर्ता घंशू के कोई वैद्य वारिस न होने से उन्हें अपने हिस्से की भूमि का वसीयतनामा निष्पादित करने का वैद्य अधिकार प्राप्त था, निष्पादित वसीयत के साक्षीं आशाराम, लखन, द्वारा आवेदक के पक्ष में की गई वसीयतनामा की पुष्टि अपने कथनों में की जाना पाई जाती है। तथा यह भी प्रमाणित पाया जाता है कि आवेदक घमण्डी ही वसीयतकर्ता के साथ पूर्व से रहता था, एवं उसी के द्वारा वसीयतकर्ता की भूमि की देखरेख एवं कब्जा होने की पुष्टि के आधार पर वसीयतनामा दिनांक 09.01.2015 को वैद्य मान्य किए जाने में विचारण न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि नहीं की है। अतएव अनुविभागीय अधिकारी द्वारा वसीयतकर्ता के निःसंतान फौत होने से वारिसान हक में पारित आदेश वैद्य नहीं पाता हूँ। 6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है अपर आयुक्त सागर द्वारा पारित आदेश दि. 23.0616 एवं अनुविभागीय अधिकारी जतार द्वारा पारित आदेश दि. 31.05.16 निरस्त करते हुए नायब तहसीलदार लिधौरा द्वारा पारित आदेश दिनाकं 26.12.15 स्थिर रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख वापिस किए जाकर प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	

[कृ. प. उ.